न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I** (RAS)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **89/2020** **GCMS 2020/89**

वादी :–

1. समन्द सिंह दत्तक पुत्र श्री गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

वादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामन सिटी
2. जय सिंह पुत्र स्व. गेहक सिंह
3. अनीता कंवर पुत्री स्व. गेहक सिंह
4. सुमन कंवर पुत्री गेहक सिंह
5. ममता कंवर पुत्री स्व. गेहक सिंह
6. कविता कंवर पुत्री स्व. गेहक सिंह
7. हनुमान सिंह पुत्र घीसू सिंह

   7/1 सलाब कंवर पत्नी हनुमान सिंह
   7/2 पूरण सिंह पुत्र हनुमान सिंह
   7/3 संतोष कंवर पुत्री हनुमान सिंह
   7/4 रमेश कंवर पुत्री हनुमान सिंह
   7/5 सुशीला कंवर पुत्री हनुमान सिंह
   7/6 शोभा कंवर पुत्री हनुमान सिंह
   7/7 वसु कंवर पुत्री हनुमान सिंह
   7/8 किरण कंवर पुत्री हनुमान सिंह

   जाति सभी राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

दावा बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व त्रुटि सुधार अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह वादी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

निर्णय

दिनांक :– 05/02/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:39:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र (प्रार्थना पत्र) का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म गै.मु कुंआ, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.10 हैक्टयर किस्म गै.मु. ढ़ाणी एवं खसरा नमबर 870 रकबा 5.60 हैक्टयर किस्म चाही 3 कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

5.71 हैक्टयर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 07, 1/2 हिस्से के खातेदार है। जमाबंदी सम्वत् 2069–72 व सम्वत् 2073–76 पेश है। जमाबंदी सम्वत् 2069–72 जिसमें वादी के दत्तक पिता गुलाब सिंह व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का हिस्सा नहीं खुला है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सेग्रिगेशन में जमाबंदी तैयार की गई उस समय वादी को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 के पिता गेहक सिंह को गेहक सिंह को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 07 को 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 से हिस्से बाबत पूछताछ किए बिना कार्यालय में बैठकर सेग्रीगेशन कर नवीन चौसाला तैयार किया है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से रिकॉर्ड में गलत दर्शाये हैं या उनके द्वारा लिपिकीय या गणितीय भूल हुई है। वादी के दत्तक पिता गुलाब सिंह उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 के दादा घीसू सिंह व प्रतिवादी संख्या 07 के पिता घीसू सिंह 1/2 हिस्से के खातेदार थे उनकी मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 के पिता घीसु सिंह व प्रतिवादी संख्या 07 की रही है, परन्तु सेग्रीगेशन के दम्यान चौसाला बनाते समय वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 व प्रतिवादी संख्या 07 का समान हिस्सा दर्शाया गया है जो लिपिकीय, गणितीय भूल होने से रिकॉर्ड में हुई भूल सुधार करने योग्य है। सेग्रीगेशन के समय गलत दर्ज हिस्से को वादी कानूनन सुधार करवाने का अधिकारी है तथा अपना 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसके लिए यह वाद बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी व त्रुटि सुधार हेतु पेश करना लाजमी हुआ है। मौजा ग्राम रूपपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 868, 869, 870 कुल रकबा 5.7100 हैक्टयर में वादी को उसके हक–हिस्से अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व रिकॉर्ड में दर्ज 1/3 हिस्से को हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 व प्रतिवादी संख्या 07 के 1/3, 1/3 हिस्से को रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 व प्रतिवादी संख्या 07 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:39:09 IST
Reason: SelfAttested

वाद/प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की गई। वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य के लिए वादी समन्दर सिंह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। दस्तावेजी

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

साक्ष्य के लिए प्रदर्श पी 1 जमांबदी नकल सम्वत् 2069 से 2072, प्रदर्श पी 2 नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी 3 नकल खतौनी बन्दोबस्त, प्रदर्श पी 4 नकल खतौनी सम्वत् 2046 से 2065, प्रदर्श पी 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072, प्रदर्श पी 6 मूल गोदनामा, प्रदर्श पी 6 (ए) गोदनामा प्रति, प्रदर्श पी 7 भाईयों में लिखित याददास्त, प्रदर्श पी 7 (ए) भाईयों में लिखित याददास्त की फोटो प्रति व प्रदर्श पी 8 सजराखानदान पेश किए गए। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी 1 में वादी की खातेदारी 1/3 दर्ज है। प्रदर्श पी 8 सजराखानदान व प्रदर्श पी 6 (ए) गोदनामा की फोटो प्रति के अनुसार वादी 1/2 खातेदारी का हकदार है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार भी वादी के वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज होनी थी। लेकिन भू–अभिलेखीय संक्रियाओं के दौरान वादी का हिस्सा कम करते हुए 1/3 दर्ज कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों से वादी का वाद साबित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

ग्राम रूपपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 868, 869, 870 कुल रकबा 5.7100 हैक्टयर में वादी को उसके हक–हिस्से अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता व रिकॉर्ड में दर्ज 1/3 हिस्से को हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 व प्रतिवादी संख्या 07 के 1/3, हिस्से को रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 व प्रतिवादी संख्या 07 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I-RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:39:09 IST
Reason: SelfAttested